किशनगढ़
76/2012/225 भंवरसिंह वगैरा V/s लाडू पुत्र नानू वगैरा

2012/000042

श्री अमीतसिंह राठौड़, एडवो.

25.6.19

पत्रावली पेश। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की अपील में बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादीगण/अपीलांट वे प्रतिवादीगण/ रेस्पोडेन्टस के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 175 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा ग्राम भिलावट तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है। जिस पर अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान खसरा नम्बर 175 के एकीकरण खसरा नम्बर 252, 253 मिलान क्षेत्रफलानुसार है। यह कृषि आराजी सज्जन सिंह जागीरदार की जागीरदारी में थी, जिस पर सम्वत 2019 से अपीलांटस संख्या 01से03 के पूर्वज, पिता एवं परिवारजन बतौर कांश्तकारी काबिज चले आ रहे थे तब से अपीलांटस के पिता एवं उनके पश्चात अपीलांटस का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रसत आराजी सम्वत 2031 व सम्वत 2032 की खसरा गिरदावरी में अपीलांट संख्या 01से 3 के पिता, अपीलांट संख्या 04 के पति स्व. गणपत सिंह के कब्जे काश्त में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर स्वर्गीय गणपत सिंह पुत्र छीतर सिंह के कब्जे काश्त में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी की नकले लेने पर अपीलांटस का पता चला कि वादग्रस्त आराजी लादू पुत्र नानू जाति गुर्जर के खाते में दर्ज है। इस पर अपीलांटस ने पुरानी नकले ली तो पला चला कि सम्वत 2020 में एकीकरण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलीभगत कर बिना किसी कब्जे के गलत व विधि विरूद्ध वादग्रस्त आराजी लादू के नाम खातदेारी में दर्ज कर दी, जबकि लादू पुत्र नानू गुर्जर का वादग्रस्त आराजी पर एकीकरण से पूर्व कभी भी राजस्व रिकार्ड में नाम व भौतिक रूप से कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही आज ही कोई कब्जा है। स्वंय रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 16 के अनुसार सम्वत 2030 तक विवादित भूमि पर लादू द्वारा काश्त की गई तत्पश्चात परिवार के पालन–पालन हेतु लादू ग्राम कोरसीनातहसील फुलेरा चले गये तथा पैरा संख्या 17 के अनुसार सम्वत 2030 में उक्त भूमि काश्त हेतु गणपत सिंह को संभला गये कि वापस आने पर उक्त भूमि पुनः प्राप्त कर लेगें लेकिन दिनांक 10.04.1999 को लादू का ग्राम कोरसीना तहसील फुलेरा में स्वर्गवास होने के कुल समय बाद गणपत सिंह का भी स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात वर्तमान में अपीलांटस ने दावा कर दिया और दावे में कथन किया कि 30 वर्षो से अधिक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में विधि द्वारा विहित रीति से बेदखल किए बिना काबिज काश्त व्यक्ति को अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में कतई बेदखल नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन तथा रेस्पोडेन्ट की इच्छा के विपरीत अपीलांटस का निर्बाध कब्जा काश्त सिद्ध होने से अपीलांटस के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी फरमाना न्यायोचित है।

न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निरन्तर.....

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

किशनगढ़

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

76/2012/225 भंवरसिंह वगैरह V/S …

तारीख पेशी	2012/000042 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री अजीतसिंह राठौड़, एड० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
निस्तर—	किशनगढ़ के आदेश दिनांक 04.02.2012 निरस्स्त फरमा जाकर अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, अपीलांटस को बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने एवं अन्यत्र रहन, बेचान व मुन्तकिल करने से रेस्पोडेन्टस को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं अपील का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन कब्जे बाबत् अपीलांट के पास केवल एक खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 में गणपत सिंह पुत्र छीतर की काश्त दर्ज हैं इसके अतिरिक्त अपीलांटस ने कब्जे एवं रिकार्ड अपील में तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये जिससे प्रकरणं प्रथम दृष्टया अपीलांट के पक्ष में बनता हो। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में नहीं पाया जाता है इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है। **अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 04.01.2019 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	